भारतीय रिज़र्व बैंक

----------RESERVE BANK OF INDIA ----------

www.rbi.org.in

आरबीआई/विसविवि/2026-27/XX

मास्टर निदेश विसविवि.केंका.पीएसडी.बीसी./04.09.001/2026-27 --------- 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार– लक्ष्य और वर्गीकरण) निदेश, 2026

	विषय-वस्तु
अध्याय – I	**प्रारंभिक**
क.	संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
ख.	उद्देश्य
ग.	प्रयोज्यता
घ.	परिभाषा/ स्पष्टीकरण
अध्याय – II	**प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत श्रेणियां और लक्ष्य**
क.	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत श्रेणियां
ख.	समायोजित निवल बैंक ऋण **(एएनबीसी)** की गणना
ग.	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र **से संबंधित** लक्ष्य/ उप-लक्ष्य
अध्याय – III	**प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत पात्र श्रेणियां – पात्रता मानदंड**
क.	कृषि
ख.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)
ग.	शिक्षा
घ.	आवास
ङ	सामाजिक बुनियादी संरचना
च.	नवीकरणीय ऊर्जा
छ.	अन्य
ज.	कमज़ोर वर्ग
अध्याय – IV	**प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी प्रमाणपत्र**
क.	परिचय और प्रयोजन

ख.	पात्र विक्रेता/ क्रेता
ग.	पीएसएलसी के प्रकार
घ.	निर्गम, परिपक्वता अवधि, लॉट का आकार, शुल्क और निपटान
ङ	पीएसएल उपलब्धि की गणना
च.	लेखांकन और प्रकटीकरण
छ.	परिचालनगत प्रावधान (ई-कुबेर पोर्टल)
अध्याय – V	**विविध**
क.	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने संबंधी लक्ष्यों पर निगरानी रखना
ख.	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य प्राप्त न करना
ग.	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण हेतु सामान्य दिशा-निर्देश
अध्याय – VI	**छूट, निरसन और अन्य प्रावधान**
क.	छूट
ख.	निरसन और व्यावृत्ति
ग.	अन्य कानूनों का लागू होना वर्जित नहीं
घ.	निर्वचन
अनुबंध: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा साझा की गई खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के तहत अनुमत गतिविधियों की सांकेतक सूची	

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा, इसके बाद विनिर्दिष्ट किए गए निदेश जारी करता है।

अध्याय – I: प्रारंभिक

क. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. ये निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) निदेश, 2026 कहलाएंगे।

2. ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

ख. उद्देश्य

3. मौजूदा निदेश बैंकिंग प्रणाली से अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों में ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं, जो सामाजिक-आर्थिक विकास में अपने योगदान के लिए महत्वपूर्ण हैं, तथा इनका ध्यान उन विशिष्ट क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनकी ऋण आवश्यकताएं ऋण योग्य होने के बावजूद पूरी नहीं हो पाती हैं।

ग. प्रयोज्यता

4. इन निदेशों के उपबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (जिन्हें सामूहिक रूप से 'बैंक' और पृथक रूप से 'बैंक' कहा गया है) पर लागू होंगे।

घ. परिभाषा/ स्पष्टीकरण

5. इन निदेशों में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, दिए गए शब्दों (टर्म्स) के अर्थ वही होंगे जो नीचे विनिर्दिष्ट हैं:

(i) संबद्ध गतिविधियां अर्थात् कृषि से संबद्ध गतिविधियों में डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन और इसी प्रकार की अन्य गतिविधियां शामिल होंगी।

(ii) गैर-कॉर्पोरेट कृषकों (एनसीएफ) में लघु और सीमांत कृषक (एसएमएफ) (जैसा कि इस मास्टर निदेश के पैरा 21 में बताया गया है) सहित व्यक्तिगत किसान, कृषि और संबद्ध गतिविधियों में सीधे तौर पर लगे

किसानों की स्वामित्व वाली फर्में, और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) या संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) यानी व्यक्तिगत कृषकों का समूह शामिल होंगे, बशर्ते बैंक ऐसे ऋणों का अलग-अलग डेटा बनाए रखें।

(iii) "आगे उधार देने" का अर्थ है बैंकों द्वारा पात्र मध्यस्थों को आगे उधार देने के लिए स्वीकृत ऋण। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की आस्तियों के सृजन के लिए दिए गए ऐसे ऋण, जो ऐसी आस्तियों में ही नियोजित रहते हैं, पीएसएल के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे।

6. यहाँ परिभाषित न की गई अन्य सभी अभिव्यक्तियों के आशय, यथास्थिति वही होंगे, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 अथवा किसी अन्य सांविधिक संशोधन अथवा उनके पुन: अधिनियमन के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किए जाएं अथवा वाणिज्यिक शब्दावली में प्रयुक्त हैं।

7. पीएसएल पर पूर्ववर्ती मास्टर निदेशों के तहत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) के रूप में वर्गीकृत सभी ऋण मियाद पूरी होने तक इन निदेशों के तहत इस तरह के वर्गीकरण के लिए पात्र बने रहेंगे।

अध्याय – II: प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत श्रेणियां एवं लक्ष्य

क. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत श्रेणियां

8. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत श्रेणियां निम्नानुसार हैं:

i. कृषि
ii. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)
iii. शिक्षा
iv. आवास
v. सामाजिक बुनियादी संरचना
vi. नवीकरणीय ऊर्जा
vii. अन्य

उपर्युक्त श्रेणियों के अंतर्गत पात्र गतिविधियों के ब्योरे अध्याय-III में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

ख. समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) की गणना

9. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के प्रयोजन के लिए, एएनबीसी की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

भारत में बैंक ऋण [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत फार्म 'ए' की मद सं.VI में यथा निर्धारित]	I
रिज़र्व बैंक तथा अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं के पास पुनः भुनाए गए बिल	II
निवल बैंक ऋण (एनबीसी)	III(I-II)
पीएसएल की कमी के कारण डीएफआई अर्थात नाबार्ड, सिडबी, मुद्रा और एनएचबी के पास बकाया जमाराशि + निवल बकाया पीएसएलसी	IV
भारतीय रिज़र्व बैंक के 25 अगस्त 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) चतुर्थ संशोधन निदेश, जैसा कि विभिन्न बैंकों के लिए लागू हैं, के अनुसार ऐसी एफसीएनआर (बी)/ एनआरई जमाराशियों (जिनके अंतर्गत परिपक्वता पर नवीकृत जमाराशियां भी शामिल हैं) के आधार पर भारत में प्रदत्त पात्र अग्रिम जो आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) अपेक्षाओं से छूट के योग्य हैं। नोट: प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी लक्ष्यों की गणना के लिए एएनबीसी से छूट दी जाने वाली	V

राशि उपर्युक्त संशोधन निदेशों के अनुसार सीआरआर/ एसएलआर बनाए रखने से छूट के लिए योग्य बकाया एफसीएनआर (बी)/ एनआरई जमाराशियों से अधिक नहीं होगी।]	
अन्य निवेश जो प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के रूप में माने जाने के लिए पात्र हों (जैसे कि प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेश)	VI
एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत गैर एसएलआर श्रेणी में बॉण्ड/ डिबेंचर	VII
एएनबीसी III + IV - V + VI + VII	

स्पष्टीकरण 1: एलसी के तहत खरीदे गए/ भुनाए गए/ परक्रामित बिलों (लाभार्थी को भुगतान जो रिज़र्व के तहत नहीं है) को केवल एक्सपोजर और पूंजी आवश्यकताओं की गणना के सीमित उद्देश्य के लिए अंतर बैंक एक्सपोजर के रूप में मानने की अनुमति है। इसे 'भारत में बैंक ऋण' की गणना से बाहर नहीं किया जाना चाहिए [जैसा कि आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के तहत फॉर्म 'ए' के मद सं. VI में निर्धारित है] जो अंतर बैंक अग्रिम को बाहर रखने की अनुमति देता है। एक्सपोजर, एलसी जारी करने वाले बैंक के लिए हो सकता है, जबकि खरीदे गए बिल/ भुनाई गई राशि को उधारकर्ता को दिए गए बैंक ऋण के रूप में देखा जाना चाहिए। यदि यह अग्रिम प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र वर्गीकरण के लिए पात्र है, तो बैंक इसे पीएसएल के रूप में दावा कर सकता है। बैंकों को भारत में निवल बैंक ऋण को रिपोर्ट करने के साथ-साथ पीएसएल लक्ष्यों और उपलब्धि के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण की गणना करते समय उपरोक्त पहलू पर ध्यान देना चाहिए।

स्पष्टीकरण 2: उपर्युक्त के अनुसार निवल बैंक ऋण (केवल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के परिकलन के प्रयोजन के लिए) की गणना करते समय बैंक एनबीसी से प्रावधानों, उपचित ब्याज आदि जैसी किसी भी राशि की कटौती/ निवल निर्धारण नहीं करेंगे। यदि बैंकों द्वारा कॉर्पोरेट/ प्रधान कार्यालय के स्तर पर विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डालते हुए राशि घटाई गई तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र और सभी उप-क्षेत्रों को दिए गए ऋणों में से इस प्रकार बट्टे खाते डाली गई राशि को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र और उप-लक्ष्य की प्राप्ति से घटाया जाता है। निवेश या ऐसी अन्य मदें, जिन्हें प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र/ उप-लक्ष्य की प्राप्ति के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र माना गया हो, समायोजित निवल बैंक ऋण का हिस्सा बनेंगी।

स्पष्टीकरण 3: ऊपर दर्शाई गई सारणी की मद सं.IV में निवल पीएसएलसी बकाया पीएसएलसी का तात्पर्य खरीदे गए पीएसएलसी और बेचे गए पीएसएलसी को घटाने पर प्राप्त होने वाले सकल मूल्य से है।

10. तुलनपत्र बाह्य एक्सपोज़र के समुल्य ऋण (सीईओबीएसई) की गणना के प्रयोजन से बैंकों के लिए दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक– संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025 में दिए गए हैं।

स्पष्टीकरण: आकस्मिक देयताएं/ तुलनपत्र बाह्य मदें प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की उपलब्धि का हिस्सा नहीं बनेंगी। इसके अलावा, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों के संबंध में सीईओबीएसई तुलन-पत्र बाह्य अंतर-बैंक एक्सपोज़रों को शामिल नहीं किया जाता है।

11. सभी बैंकों द्वारा विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित लाइसेंसिंग और परिचालनगत दिशानिर्देशों, समय-समय पर अद्यतन, का पालन किया जाएगा।

ग. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र से संबंधित लक्ष्य/ उप-लक्ष्य

12. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और उप-लक्ष्य, जिनकी गणना पिछले वर्ष की संबंधित तिथि को लागू एएनबीसी/ सीईओबीएसई के आधार पर की जाएगी, निम्नानुसार हैं:

श्रेणी	लक्ष्य/ उप-लक्ष्य
कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	ऊपर पैरा 9 में की गई गणना के अनुसार समायोजित निवल बैंक ऋण का या सीईओबीएसई का 75 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो। तथापि, मध्यम उद्यम, सामाजिक बुनियादी संरचना तथा नवीकरणीय ऊर्जा को दिए गए उधार के मरमजे में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की उपलब्धि की गणना हेतु एएनबीसी के 15 प्रतिशत पर ही विचार किया जाएगा।
कृषि	एएनबीसी का या सीईओबीएसई का 18 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, इस लक्ष्य में गैर-कॉर्पोरेट किसानों (एनसीएफ) के लिए 14 प्रतिशत निर्धारित है, जिसमें से एसएमएफ के लिए 10 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित है।
सूक्ष्म उद्यम	एएनबीसी का या सीईओबीएसई का 7.5 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो;
कमज़ोर वर्गों को अग्रिम	एएनबीसी का या सीईओबीएसई का 15 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो;

अध्याय – III

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत पात्र श्रेणियां – पात्रता मानदंड

क. कृषि

13. कृषि क्षेत्र को उधार में कृषि ऋण (कृषि और संबद्ध गतिविधियां), कृषि बुनियादी संरचना और संबद्ध गतिविधियों को दिया जाने वाला उधार शामिल है।

क.1 कृषि ऋण - व्यक्तिगत किसान

14. इस श्रेणी में व्यक्तिगत किसानों [स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) या संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) अर्थात् व्यक्तिगत किसानों के समूह, बशर्ते बैंक ऐसे ऋणों का अलग-अलग डेटा बनाए रखें] और किसानों की स्वामित्व वाली फर्मों को दिए गए ऋण शामिल हैं, जो सीधे कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगे हुए हैं। ऐसे ऋणों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

i. फसल ऋण जिसमें पारंपरिक/ गैर-पारंपरिक बागान, बागबानी तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण शामिल हैं।

ii. कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापों के लिए मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण (अर्थात कृषि उपकरणों और मशीनरी की खरीद तथा संबद्ध कार्यकलापों के लिए विकासात्मक ऋण)।

iii. फसल काटने से पूर्व और फसल काटने के बाद के कार्यकलापों जैसे छिड़काव, फसल कटाई, श्रेणीकरण (ग्रेडिंग), तथा स्वयं के फार्म की उपज के परिवहन के लिए ऋण।

iv. गैर संस्थागत उधारदाताओं के प्रति ऋणग्रस्त आपदाग्रस्त किसानों को ऋण।

v. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण।

vi. कृषि प्रयोजन हेतु जमीन खरीदने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को ऋण।

vii. एनडब्लूआर/ ई-एनडब्लूआर के बदले ₹90 लाख तक की सीमा के अधीन 12 माह से अनधिक अवधि के लिए कृषि उपज (गोदाम रसीदों सहित) को गिरवी/दृष्टिबंधक रखकर ऋण और एनडब्लूआर/ ई-एनडब्लूआर के अलावा अन्य गोदाम रसीदों के बदले ₹60 लाख तक की सीमा का ऋण।

viii. किसानों को स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंपों की स्थापना और ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सोलराइजेशन के लिए ऋण।

ix. बंजर/ परती भूमि पर या किसान के स्वामित्व वाली कृषि भूमि पर स्टिल्ट फैशन के रूप में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए किसानों को ऋण।

क.2 कृषि ऋण – कॉर्पोरेट किसानों, किसानों के कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ)/ (एफपीसी), अलग-अलग किसानों की कंपनियों, साझेदारी फर्मों तथा कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापों से जुड़ी सहकारी संस्थाएं:

15. निम्नलिखित गतिविधियों के लिए ऋण, जो कि प्रति उधारकर्ता संस्था ₹4 करोड़ की कुल सीमा के अधीन हैं, पात्र होंगे:

(1) किसानों को फसल ऋण जिसमें पारंपरिक/ गैर-पारंपरिक बागान, बागबानी तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण शामिल होंगे।

(2) कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापों के लिए मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण (अर्थात कृषि उपकरणों, तकनीकी समाधान और मशीनरी की खरीद तथा संबद्ध कार्यकलापों के लिए विकासात्मक ऋण)।

(3) फसल काटने से पूर्व और फसल काटने के बाद के कार्यकलापों जैसे छिड़काव, फसल कटाई, श्रेणीकरण (ग्रेडिंग), तथा स्वयं के फार्म की उपज के परिवहन के लिए ऋण।

16. एनडब्लूआर/ ई-एनडब्लूआर के बदले 12 माह से अनधिक अवधि के लिए कृषि उपज (गोदाम रसीदों सहित) को गिरवी/ दृष्टिबंधक रखकर ₹4 करोड़ तक के ऋण और एनडब्लूआर/ ई-एनडब्लूआर के अलावा अन्य गोदाम रसीदों के बदले ₹2.5 करोड़ तक के ऋण।

17. पूर्व-निर्धारित मूल्य पर अपनी उपज के सुनिश्चित विपणन के साथ एफपीओ/ एफपीसी के प्रति उधारकर्ता संस्था को ₹10 करोड़ तक के ऋण।

18. कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से लगे सदस्यों की उपज की खरीद के लिए ₹10 करोड़ तक के ऋण।

क.3 कृषि बुनियादी संरचना

19. बैंकिंग प्रणाली से कृषि बुनियादी संरचना के लिए प्रति उधारकर्ता की कुल स्वीकृत सीमा में ऋण ₹100 करोड़ के अधीन होगी। गतिविधियों की सांकेतिक सूची नीचे दी गई है:

i) भंडारण सुविधाओं (माल-गोदाम, बाज़ार प्रांगण, गोदाम और साइलो) जिनमें कृषि उत्पाद/ उत्पादनों के भंडारण के लिए बनाए गए शीत संग्रहण (कोल्ड स्टोरेज) यूनिट/ शीत संग्रहण चेन शामिल हैं, चाहे वे कहीं भी स्थित हों, के निर्माण के लिए ऋण।

ii) भू-संरक्षण और जल विभाजन (वॉटरशेड) विकास के लिए ऋण।

iii) ऊतक (टिश्यू) संवर्धन और कृषि जैव प्रौद्योगिकी (बायो-टैक्नोलॉजी), बीज उत्पादन, जैविक (बायो) कीटनाशकों का उत्पादन, जैविक उर्वरक, और कृमि कंपोस्टिंग के लिए ऋण।

iv) कम्प्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) संयंत्रों की स्थापना के लिए उद्यमियों को ऋण के साथ जैव-ईंधन के उत्पादन, उनके भंडारण और वितरण की बुनियादी संरचना के लिए तेल निकालने संबंधी/ प्रसंस्करण इकाइयों के निर्माण के लिए ऋण।

स्पष्टीकरण: *कृषि बुनियादी संरचना के लिए प्रति उधारकर्ता ₹100 करोड़ की कुल स्वीकृत सीमा की गणना सुविधा-वार आधार पर की जाएगी और इसमें उधारकर्ता के अन्य पीएसएल/ गैर-पीएसएल एक्सपोजर शामिल नहीं होंगे। पीएसएल के रूप में ऋणों के पात्र होने के लिए बैंकों द्वारा कृषि बुनियादी संरचना के प्रयोजन से विशेष रूप से अलग-अलग सीमाओं का मूल्यांकन करके मंज़ूरी दी जानी चाहिए। बैंकों द्वारा मंजूरी/ समीक्षा के दौरान उधारकर्ता से इस आशय का घोषणा-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए जिसमें उसने उसी गतिविधि के लिए अन्य बैंकों से वर्तमान में प्राप्त किए गए ऋणों का प्रकटीकरण हो। साथ ही, अपनी आंतरिक नीति के अनुसार स्वतंत्र रूप से समग्र एक्सपोजर की स्थिति का पता लगाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकिंग प्रणाली के स्तर पर ₹100 करोड़ की समग्र सीमा का पालन किया जाता है।*

नोट: इस स्पष्टीकरण के सीमित प्रयोजन से 'बैंकों' के तात्पर्य के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, शहरी सहकारी बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं।

क.4 संबद्ध सेवाएं

20. निम्नलिखित सेवाएं इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने हेतु पात्र होंगी:

(1) एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस केंद्रों की स्थापना के लिए ऋण।

(2) व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा संगठनों द्वारा प्रबंधित ऐसे कस्टम सेवा यूनिटों को ऋण जो ट्रैक्टर, बुलडोज़र, कुआं खोदने के उपकरण, थ्रेशर, कंबाइन्स, आदि का बेड़ा रखते हैं और किसानों के लिए संविदा आधार पर कृषि कार्य करते हैं।

(3) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस), कृषक सेवा समितियों (एफएसएस) और बड़े आकारवाली आदिवासी बहु-उद्देश्य समितियों (एलएएमपीएस) को आगे कृषि के लिए ऋण प्रदान करने हेतु दिए गए ऋण।

(4) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परिभाषित ऐसे स्टार्ट-अपों को दिए जाने वाले ₹50 करोड़ तक के ऋण, जो कृषि और संबद्ध सेवाओं में कार्यरत हैं।

(5) खाद्यान्न तथा एग्रो प्रसंस्करण के लिए बैंकिंग प्रणाली से प्रति उधारकर्ता ₹100 करोड़ की समग्र स्वीकृत सीमा तक के ऋण (अनुबंध-II में दी गई पात्र गतिविधियाँ)।

(6) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी लक्ष्य-प्राप्ति की कमी के कारण नाबार्ड के पास बकाया जमाराशि। इन बकाया जमाराशियों की गणना समग्र पीएसएल लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी की जाएगी।

स्पष्टीकरण 1: *कृषि बुनियादी संरचना के लिए प्रति उधारकर्ता ₹100 करोड़ की कुल स्वीकृत सीमा की गणना सुविधा-वार आधार पर की जाएगी और इसमें उधारकर्ता के अन्य पीएसएल/ गैर-पीएसएल एक्सपोजर शामिल नहीं होंगे। पीएसएल के रूप में ऋणों के पात्र होने के लिए बैंकों द्वारा कृषि बुनियादी संरचना के प्रयोजन से विशेष रूप से अलग-अलग सीमाओं का मूल्यांकन करके मंज़ूरी दी जानी चाहिए। बैंकों द्वारा मंजूरी/ समीक्षा के दौरान उधारकर्ता से इस आशय का घोषणा-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए जिसमें उसने उसी गतिविधि के लिए अन्य बैंकों से वर्तमान में प्राप्त किए गए ऋणों का प्रकटीकरण हो। साथ ही, अपनी आंतरिक नीति के अनुसार स्वतंत्र रूप से समग्र एक्सपोजर की स्थिति का पता लगाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकिंग प्रणाली के स्तर पर ₹100 करोड़ की समग्र सीमा का पालन किया जाता है।*

नोट: इस स्पष्टीकरण के सीमित प्रयोजन से 'बैंकों' के तात्पर्य के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, शहरी सहकारी बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं।

स्पष्टीकरण 2 [पैरा 22(7)]: *अनुबंध-II के अनुसार, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के तहत अनुमत गतिविधियों की सांकेतिक सूची के तहत परिवहन एक पात्र गतिविधि है। तथापि, वाणिज्यिक वाहनों की खरीद के लिए ट्रांसपोर्टरों को "खाद्यान्न तथा एग्रो प्रसंस्करण" श्रेणी के तहत किसी भी सुविधा को वर्गीकृत करते समय, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वाहनों का उपयोग अनन्य रूप से खाद्यान्न तथा एग्रो-प्रसंस्कृत उत्पादों के परिवहन के लिए किया जाता है या वे अनन्य रूप से "खाद्यान्न तथा एग्रो प्रसंस्करण" के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन हैं, जैसे शीत संग्रहण (कोल्ड स्टोरेज) ट्रक, वैन आदि। यदि वाणिज्यिक वाहन का उपयोग खाद्यान्न तथा एग्रो प्रसंस्करण से संबंधित उत्पादों के अलावा अन्य उत्पादों के परिवहन के लिए भी किया जाता है, तो वह सुविधा 'खाद्यान्न तथा एग्रो प्रसंस्करण' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं होगी। तथापि, ऐसे ऋणों को एमएसएमई के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, यदि उधारकर्ता विद्यमान मास्टर निदेश के पैरा 26 में बताए अनुसार एमएसएमई के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र है।*

क.5 लघु एवं सीमांत किसानों (एसएमएफ) उधार के रूप में वर्गीकृत किए जाने संबंधी पात्रता मानदंड

21. उप-लक्ष्य की उपलब्धि की गणना के उद्देश्य से, लघु और सीमांत किसानों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

1) 1 हेक्टेयर तक के भूधारक किसान (सीमांत किसान) ।

2) 1 हेक्टेयर से अधिक परंतु 2 हेक्टेयर तक के भूधारक किसान (लघु किसान) ।

3) भूमिहीन कृषि श्रमिक, काश्तकार, मौखिक पट्टेदार तथा बंटाईदार जिनकी भू-धारिता का अंश लघु और सीमांत किसानों के लिए निर्धारित सीमाओं के भीतर है।

4) स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) या संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) अर्थात कृषि तथा उससे संबद्ध कार्यकलापों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े अलग-अलग लघु और सीमांत किसानों के समूहों को ऋण, बशर्ते बैंक ऐसे ऋणों का अलग से ब्योरा रखते हों।

5) ₹2.5 लाख तक के ऋण केवल उन लोगों के लिए है जो किसी भी भूधारक मानदंड के बिना संबद्ध गतिविधियों में संलग्न हैं।

6) अलग-अलग किसानों की एफपीओ/ पीएफसी तथा कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी किसानों की सहकारी संस्थाओं को ऋण, जहां लघु और सीमांत किसानों की भू-धारिता का शेयर 75 प्रतिशत से कम न हो, जो कि अध्याय-III के खंड क.2 में निर्धारित ऋण सीमा के अधीन है।

स्पष्टीकरण: *भागीदारी फर्मों/ कंपनियों, जहां भागीदार/ निदेश 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि रखते हों, को दिए गए ऋण एसएमएफ़ श्रेणी के तहत वर्गीकृत होने के पात्र नहीं हैं।*

ख. **सूक्ष्म**, **लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)**

22. एमएसएमई का तात्पर्य ऐसे उद्यमों से है, जिनकी परिभाषा एमएसएमई अधिनियम, 2006, जैसा कि समय-समय पर संशोधित,में दी गई है।

23. उपर्युक्त उद्यमों के लिए अपेक्षित है कि वे उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराएं और 'उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र' प्राप्त करें। पीएसएल उद्देश्यों के लिए बैंकों द्वारा उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (यूआरसी) में दर्ज वर्गीकरण का पालन किया जाएगा।

24. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी वर्गीकरण के सीमित प्रयोजन के लिए खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के रूप में शामिल किया गया है और उन्हें उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत करा लेने की अनुमति है।

25. अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) के मामले में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उद्यम सहायता पोर्टल (यूएपी) पर जारी किए गए प्रमाण पत्र को उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र के समान

माना जाएगा। पीएसएल वर्गीकरण के उद्देश्य से उद्यम सहायता प्रमाणपत्र रखने वाले आईएमई को सूक्ष्म उद्यम के रूप में माना जाएगा।

26. एमएसएमई को दिए जाने वाले सभी बैंक ऋण प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार के रूप में वर्गीकृत किए जाने के पात्र होंगे।

27. ऐसे स्टार्ट-अपों को दिए जाने वाले ऋण भी इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने के पात्र होंगे जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार एमएसएमई हों।

ख.1 एमएसएमई श्रेणी में पीएसएल के अंतर्गत वर्गीकृत होने के लिए पात्र अन्य ऋण

28. इसमे शामिल है:

1) खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र की इकाइयों को दिए जाने वाले सभी ऋण, जिन्हें सूक्ष्म उद्यमों को दिए जाने वाले ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाए।

2) कारीगरों, ग्राम और कुटीर उद्योगों को निविष्टियों की आपूर्ति और उनके उत्पादन के विपणन के विकेंद्रीकृत सेक्टर को सहायता प्रदान करने में निहित संस्थाओं को दिए जाने वाले ऋण।

3) कारीगरों, ग्राम और कुटीर उद्योगों जैसे विकेंद्रीकृत क्षेत्र में उत्पादकों की सहकारी संस्थाओं को दिए जाने वाले ऋण।

4) वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमाओं और शर्तों के अनुसार प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के खाताधारकों को दिया जाने वाला ओवरड्राफ्ट, जिसे सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

5) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी लक्ष्य-प्राप्ति में कमी के कारण सिडबी और मुद्रा लि. के पास रखी जाने वाली बकाया जमाराशियों को भी समग्र पीएसएल लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

ग. शिक्षा

29. व्यावसायिक पाठ्यक्रम सहित शैक्षिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को ₹25 लाख तक के ऋण, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के वर्गीकरण के लिए पात्र माना जाएगा।

स्पष्टीकरण: *शिक्षा ऋण उस मामले में पीएसएल के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतु पात्र होगा जब उसकी संस्वीकृत सीमा ₹25 लाख से अधिक न हो। तथापि, ऋण की संपूर्ण बकाया राशि अध्ययन अवधि के दौरान चुकौती पर अधिस्थगन जैसे कारणों से संस्वीकृत सीमा से बढ़ जाने के बावजूद वह पीएसएल के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र बनेगी।*

घ. आवास

30. आवास क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋण नीचे दर्शाई गई निर्धारित सीमा के अनुसार प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र हैं:

(1) प्रति परिवार निवासी यूनिट की खरीद/ निर्माण के लिए व्यक्तियों को ऋण निम्नलिखित सीमाओं के अधीन होंगे:

(राशि - ₹लाख रुपए में)

श्रेणी	**ऋण सीमा**	**निवासी यूनिट की अधिकतम लागत**
50 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले केंद्र	50	63
10 लाख और उससे अधिक लेकिन 50 लाख से कम की आबादी वाले केंद्र	45	57
10 लाख से कम की आबादी वाले केंद्र	35	44

(2) बैंक द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले आवास ऋण प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे, भले ही वे वाणिज्यिक शर्तों पर दिए गए हों या सब्सिडी-प्राप्त दरों पर दिए गए हों।

31. क्षतिग्रस्त निवासी यूनिटों की मरम्मत के लिए ऋण निम्नलिखित सीमाओं के अधीन प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे:

(राशि ₹ लाख रुपए में)

श्रेणी	**ऋण सीमा**	**निवासी यूनिट की अधिकतम लागत**

50 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले केंद्र	15	63
10 लाख और उससे अधिक लेकिन 50 लाख से कम की आबादी वाले केंद्र	12	57
10 लाख से कम की आबादी वाले केंद्र	10	44

स्पष्टीकरण 1: *जहां तक ऋणों को पीएसएल की 'आवास' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने हेतु पात्र बनने का संबंध है उन्हें 'ऋण सीमा' और 'निवासी इकाई की अधिकतम लागत' संबंधी मानदंडों को पूरा करना चाहिए।*

स्पष्टीकरण 2: *जनसंख्या आधारित वर्गीकरणों के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए बैंक जनगणना 2011 की सारणी "ए-04" में दिए गए 'शहरी समूह' (यू.ए.)/ कस्बों के स्तर पर जनसंख्या का संदर्भ ले सकते हैं। गांवों/ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित संपत्तियों के लिए आवास ऋण (जो जनगणना 2011 की सारणी ए-04 का हिस्सा नहीं हैं) के संबंध में, "10 लाख से कम जनसंख्या वाले केंद्रों" के अनुसार ऋण सीमा का पालन किया जा सकता है।*

32. 60 वर्ग मीटर तक के कारपेट क्षेत्र वाले निवासी यूनिटों के अधीन, किसी सरकारी एजेंसी को निवासी यूनिटों के निर्माण अथवा गंदी बस्ती हटाने और गंदी बस्ती में रहने वालों के पुनर्वास के लिए बैंक ऋण।

33. कम से कम 50% एफएआर/ एफएसआई का उपयोग करने वाले ऐसे किफायती आवास परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण उन निवासी यूनिट के लिए जिनका कारपेट क्षेत्र 60 वर्ग मीटर से अधिक न हो।

34. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के समग्र लक्ष्य के प्राप्ति-स्तर में कमी के कारण एनएचबी के पास रखी हुई बकाया जमाराशियों को भी पीएसएल के समग्र लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

ङ. सामाजिक बुनियादी संरचना

35. नीचे दी गई सीमा के अनुसार सामाजिक बुनियादी संरचना क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋण प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र हेतु वर्गीकरण के लिए पात्र हैं।

(1) स्कूल, पेयजल सुविधाएं और स्वच्छता सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रति उधारकर्ता ₹**8** करोड़ की सीमा तक का ऋण, जिसमें घरेलू शौचालयों का निर्माण/ नवीकरण और घरेलू स्तर पर जल सुधार आदि शामिल हैं।

(2) भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – शाखा प्राधिकरण) निदेश**, 2025** में दिए गए वर्गीकरण के अनुसार टियर 2 से टियर 6 केंद्रों में स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रति उधारकर्ता ₹12 करोड़ तक का ऋण।

च. नवीकरणीय ऊर्जा

36. नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत जनरेटर और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, दूरदराज के गांवों में विद्युतीकरण आदि के लिए उधारकर्ताओं को ₹35 करोड़ तक का बैंक ऋण, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे। अलग-अलग परिवारों के लिए, प्रति उधारकर्ता ₹10 लाख की ऋण सीमा होगी।

छ. अन्य

37. निर्धारित सीमा तक निम्नलिखित ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र हैं:

1) व्यक्तियों और एसएचजी/ जेएलसी के सदस्यों को बैंकों को प्रत्यक्ष रूप से दिए गए ऐसे सूक्ष्म वित्त ऋण जो भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 में निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हों।

2) कृषि या एमएसएमई के अलावा अन्य गतिविधियों**,** जैसे सामाजिक जरूरतों को पूरा करने**,** घर के निर्माण या मरम्मत**,** शौचालयों के निर्माण या एसएचजी द्वारा शुरू की गई किसी भी व्यवहार्य सामान्य गतिविधि के लिए एसएचजी/जेएलजी को बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ₹2.00 लाख से अनधिक ऋण।

3) संकटग्रस्त व्यक्तियों [आपदाग्रस्त किसानों के अलावा गैर-संस्थागत ऋणदाताओं के ऋणी] को उनके गैर संस्थागत ऋणदाताओं के कर्ज की पूर्व अदायगी के लिए प्रति उधारकर्ता ₹1 लाख से अनधिक के ऋण।

4) अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य प्रायोजित संगठनों को इन संगठनों के लाभार्थियों को निविष्टियों की खरीद और आपूर्ति और/ या उनके उत्पादनों के विपणन के विशिष्ट प्रयोजन के लिए स्वीकृत ऋण।

5) कृषि या एमएसएमई के अलावा अन्य गतिविधियों में संलग्न स्टार्ट-अपों, जिनके संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परिभाषा दी गई हो, को दिए गए ₹50 करोड़ तक के ऋण।

झ. कमज़ोर वर्ग

38. निम्नलिखित उधारकर्ताओं को दिए जाने वाले प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण कमज़ोर वर्गों की श्रेणी के अंतर्गत शामिल है (अतिव्यापी श्रेणी):

(i)	छोटे और सीमांत किसान
(ii)	कारीगर, ग्रामीण और कुटीर उद्योग जिनकी व्यक्तिगत ऋण सीमा ₹2 लाख से अधिक न हो

(iii)	सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), और स्वच्छकारों के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना (एसआरएमएस) के अंतर्गत लाभार्थी
(iv)	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां
(v)	विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना के लाभार्थी
(vi)	स्वयं सहायता समूह/ संयुक्त देयता समूह
(vii)	सूक्ष्म वित्त प्राप्त करने वाले ऐसे व्यक्ति और एसएचजी/ जेएलजी के व्यक्तिगत सदस्य, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 में निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हों।
(viii)	व्यक्तिगत महिला लाभार्थियों के लिए प्रति उधारकर्ता ₹2 लाख
(ix)	गैर संस्थागत उधारदाताओं से ऋण लेकर संकटग्रस्त किसान
(x)	गैर संस्थागत उधारदाताओं से ऋण लेकर संकटग्रस्त किसानों को छोड़कर संकटग्रस्त व्यक्तियों को अपने ऋण की पूर्व अदायगी हेतु ₹1 लाख से अनधिक के ऋण।
(xi)	दिव्यांग व्यक्ति
(xii)	ट्रांसजेंडर
(xiii)	भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय।

स्पष्टीकरण 1: *'कमजोर वर्गों' के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए, ऋण को पहले अंतर्निहित गतिविधि के अनुसार आठ पीएसएल श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र होना चाहिए।*

स्पष्टीकरण 2: *(मद iv और xiii) आवेदन पत्र में ग्राहक द्वारा की गई घोषणा अल्पसंख्यकों/ अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं को कमजोर वर्गों के अंतर्गत वर्गीकृत करने के लिए पर्याप्त होगी। भागीदारी फर्म के मामले में, यदि भागीदारों में से बहुलांश एक अथवा उससे अधिक भागीदार विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों से हैं तो ऐसी भागीदारी फर्मों को दिए गए अग्रिमों को अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अग्रिमों में गिना जा सकता है। साथ ही, यदि भागीदारी फर्म में बहुलांश हिताधिकारी स्वामित्व अल्पसंख्यक समुदाय का है तो ऐसे उधार को विनिर्दिष्ट समुदायों को दिए गए अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसी कंपनी का कानूनी रूप से पृथक अस्तिव होने के कारण उसे दिए गए अग्रिमों को निर्धारित अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।*

39. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा और शर्तों के अनुसार पीएमजेडीवाई खाताधारकों द्वारा ओवरड्राफ्ट का लाभ कमजोर वर्गों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।

40. यदि अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित समुदायों में से कोई एक समुदाय किन्हीं राज्यों में बहुसंख्यक समुदाय है तो ऐसे मामले में मद (**xiii**) के अंतर्गत अन्य अधिसूचित समुदायों को ही शामिल किया जाएगा। इन राज्यों/ संघ-राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत पंजाब, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप तथा जम्मू और कश्मीर।

अध्याय-IV: प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी प्रमाणपत्र

क. परिचय और प्रयोजन

41. पीएसएलसी तंत्र, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों के प्राप्ति-स्तर में कमी दर्ज वाले बैंकों को अन्य ऐसे बैंकों से कल्पित (नोशनल) भरपाई संबंधी खरीद करते हुए लक्ष्य-प्राप्ति को पूरा करने में सक्षम बनाता है जिन्होंने पीएसएल लक्ष्यों को पार कर लिया है। इस पद्धति में कोई ऋण जोखिम या अंतर्निहित ऋण आस्तियों के अंतरण की समस्या नहीं होती है। विक्रेता प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी दायित्वों की भरपाई की बिक्री करता है और क्रेता उसे खरीदता है। इस योजना में अधिशेष वाले बैंकों को प्रोत्साहित किया जाता है जिससे प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों को दिए जाने वाले ऋणों की मात्रा में बढ़ोतरी होती है।

42. जारी किए जाने वाले और खरीदे जाने वाले पीएसएलसी का निवल सांकेतिक (नॉमिनल) मूल्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने हेतु पात्र होगा। इस संबंध में शर्त यह है कि बैंकों द्वारा दिए गए ऋण (आस्तियां) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतु पात्र हों और साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी प्रमाणपत्रों के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन किया जाता हो।

ध्यानार्थ: अध्याय-IV के सीमित प्रयोजन के लिए 'बैंकों' के तात्पर्य के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, शहरी सहकारी बैंक, स्थानीय क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं।

ख. पात्र विक्रेता/ क्रेता

43. ऐसे बैंकों पीएसएलसी की बिक्री करने के लिए पात्र होंगे जिन्होंने पीएसएल संबंधी पात्र श्रेणी के अंतर्गत ऋण दिए हों, जो कि रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी किए जाने वाले विनियमों के अधीन हैं।

44. बैंक प्रवाह पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत करके पीएसएलसी ट्रेडिंग के लिए पंजीकरण करा ले सकते हैं।

ग. पीएसएलसी के प्रकार

45. बैंक निम्नलिखित चार श्रेणियों में पीएसएलसी जारी कर सकते हैं: पीएसएलसी-कृषि, पीएसएलसी-एसएफ/एमएफ, पीएसएलसी-सूक्ष्म उद्यम, और पीएसएलसी-सामान्य।

46. प्रत्येक श्रेणी के प्रमाणपत्र विशिष्ट प्रकार के ऋणों का प्रतिनिधित्व करेंगे और उनकी गणना निम्नानुसार विशिष्ट लक्ष्यों/ उप-लक्ष्यों के लिए की जाएगी:

क्र.सं.	पीएसएलसी का प्रकार	प्रतिनिधित्व	निम्नलिखित की गणना के लिए
1	पीएसएलसी- कृषि	एसएफ/ एमएफ को दिए जाने वाले ऋणों, जिनके लिए अलग प्रमाणपत्र उपलब्ध हैं, को छोड़कर सभी पात्र कृषि ऋण	कृषि संबंधी लक्ष्य और पीएसएल के समग्र लक्ष्य की प्राप्ति
2	पीएसएलसी- एसएफ/ एमएफ	छोटे/ सीमांत किसानों को दिए जाने वाले सभी पात्र ऋण	एसएफ/ एमएफ उप-लक्ष्य, कमज़ोर वर्गों संबंधी उप-लक्ष्य, एनसीएफ उप-लक्ष्य, कृषि संबंधी लक्ष्य और पीएसएल के समग्र लक्ष्य की प्राप्ति
3	पीएसएलसी- सूक्ष्म उद्यम	सूक्ष्म उद्यमों को दिए जाने वाले सभी पीएसएल ऋण	सूक्ष्म उद्यम संबंधी उप-लक्ष्य और पीएसएल के समग्र लक्ष्य की प्राप्ति
4	पीएसएलसी- सामान्य	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अवशिष्ट ऋण अर्थात कृषि और सूक्ष्म उद्यमों को दिए जाने वाले ऋणों को छोड़कर अन्य ऐसे ऋण, जिनके लिए अलग प्रमाणपत्र उपलब्ध हैं।	पीएसएल के समग्र लक्ष्य की प्राप्ति

47. इस प्रकार, किसी उप-लक्ष्य (अर्थात एसएफ/ एमएफ, सूक्ष्म) की प्राप्ति में कमी वाले बैंक को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसी उप-लक्ष्य से संबंधित पीएसएलसी खरीदना होगा। तथापि, केवल समग्र लक्ष्य की प्राप्ति में कमी वाला बैंक किसी भी प्रकार का पीएसएलसी खरीद सकता है।

स्पष्टीकरण 1: *'निर्यात ऋण' पीएसएलसी - सामान्य के बदले अंतर्निहित आस्तियों का एक भाग बन सकता है। हालाँकि, 'निर्यात ऋण' के बदले पीएसएलसी-सामान्य जारी करने वाला कोई भी बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि अंतर्निहित 'निर्यात ऋण' पोर्टफोलियो घरेलू बैंकों के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र वर्गीकरण के लिए भी पात्र है।*

घ. निर्गम, परिपक्वता अवधि, लॉट का आकार, शुल्क और निपटान

48. आम तौर पर पीएसएलसी अंतर्निहित आस्तियों की बाबत जारी किए जाते हैं। तथापि, पीएसएलसी के लिए सुदृढ और सक्रिय बाज़ार विकसित करने के उद्देश्य से बैंकों को पिछले वर्ष की पीएसएल उपलब्धि के 50 प्रतिशत तक पीएसएलसी जारी करने की अनुमति दी गई है, चाहे उनकी बहियों में अंतर्निहित आस्तियां हों या न हों। तथापि, रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार उस बैंक के लिए अपेक्षित है कि वह प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार पोर्टफोलियो में बकाया राशि तथा जारी किए गए और खरीदे गए पीएसएलसी के निवल मूल्य को कुल मिलाते हुए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी लक्ष्यों को पूरा करे। बैंकों के लिए अपेक्षित है कि वे लक्ष्य-प्राप्ति में हुई कमी की मात्रा के अनुसार आरआईडीएफ/ अन्य निधियों में पूर्व की भाँति निवेश करें।

स्पष्टीकरण: *यदि भविष्य में आरबीआई द्वारा अपनी पर्यवेक्षण-प्रक्रिया के क्रम में ऐसी अंतर्निहित आस्तियों, जिनकी ट्रेडिंग बैंक द्वारा पीएसएलसी के रूप में की जा चुकी हो, को पीएसएल के पात्र वर्गीकरण की श्रेणी से हटा दिया जाता है तो ऐसे अप-वर्गीकरण की कटौती पीएसएलसी विक्रेता बैंक के उपलब्धि-स्तर से ही की जाएगी। पीएसएलसी के क्रेता के मामले में कोई कटौती नहीं की जाएगी, भले ही ट्रेडिंग किए हुए पीएसएलसी की अंतर्निहित आस्ति को उक्त कारण से अप-वर्गीकृत किया गया हो।*

49. इसमें मूर्त आस्तियों या नकदी प्रवाह का अंतरण न होने के कारण अंतर्निहित ऋण जोखिम का अंतरण नहीं होगा।

50. सभी पीएसएलसी वित्त वर्ष के अंत, अर्थात 31 मार्च तक वैध रहेंगे और उसके अगले दिन, अर्थात 1 अप्रैल को वे समाप्त होंगे।

51. पीएसएलसी की ट्रेडिंग और निधियों का निपटान आरबीआई के ई-कुबेर पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

52. पीएसएलसी की ट्रेडिंग ₹ 25 लाख और उनके गुणजों के मानक लॉट आकारों में की जाएगी।

53. क्रेता विक्रेता को शुल्क अदा करेगा जो कि बाज़ार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

ङ. पीएसएल की उपलब्धि की गणना

54. बैंक की पीएसएल की लक्ष्य-प्राप्ति की गणना प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के बकाया ऋणों, तथा जारी किए गए और खरीदे गए पीएसएलसी के निवल सांकेतिक मूल्य को कुल मिलाते हुए की जाएगी। लागू उप-लक्ष्यों के लिए अलग-अलग से इस प्रकार गणना की जाएगी। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र से संबंधित तिमाही और वार्षिक विवरणियों की रिपोर्टिंग के दौरान पीएसएलसी (पीएसएलसी क्रय – पीएसएलसी विक्रय) की निवल स्थिति को भी विचार में लिया जाना है।

च. लेखांकन और प्रकटीकरण

55. पीएसएलसी का सांकेतिक मूल्य पीएसएल के समकक्ष होगा जिसे विक्रेता के पीएसएल पोर्टफोलियो से घटाया जाएगा और क्रेता के पीएसएल पोर्टफोलियो में जोड़ा जाएगा। क्रेता विक्रेता को ऐसे शुल्क की अदायगी करेगा जिसका निर्धारण बाजार द्वारा किया जाएगा।

56. पीएसएलसी की खरीद के लिए अदा किए गए शुल्क को 'व्यय' के रूप में माना जाएगा और पीएसएलसी की बिक्री से प्राप्त शुल्क को 'विविध आय' के रूप में माना जाएगा।

57. विक्रेता और क्रेता दोनों को वर्ष के दौरान बेचे और खरीदे गए पीएसएलसी (श्रेणी-वार) की राशि की रिपोर्टिंग 'तुलन पत्र प्रकटीकरण' में करनी होगी।

उदाहरण

1. बैंक 'ए' 15 जुलाई 2025 को बैंक 'बी' को ₹ 100 करोड़ के सांकेतिक मूल्य के पीएसएलसी बेच सकता है। रिपोर्टिंग तारीख 30 सितंबर 2025, 31 दिसंबर 2025 और 31 मार्च 2026 को बैंक बी ₹ 100 करोड़ की गणना अपनी प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की प्राप्ति के रूप में करेगा। जबकि बैंक 'ए' संबंधित रिपोर्टिंग तारीखों को अपनी लक्ष्य-प्राप्ति के आंकड़ों से उसे घटाएगा। पीएसएलसी 31 मार्च 2026 को समाप्त होंगे।

2. बैंक 'सी' 30 मार्च 2026 को बैंक 'डी' से ₹ 100 करोड़ के पीएसएलसी खरीद सकता है। बैंक 'डी' 31 मार्च 2026 को अपनी पीएसएल रिपोर्टिंग से ₹ 100 करोड़ घटाएगा। जबकि बैंक 'सी' उसकी गणना अपनी लक्ष्य-प्राप्ति के रूप में करेगा। पीएसएलसी 01 अप्रैल 2026 को समाप्त होगा।

छ. परिचालनगत प्रावधान (ई-कुबेर पोर्टल)

58. पीएसएलसी बाज़ार महाराष्ट्र सरकार द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत शनिवारों, रविवारों और अवकाश के दिनों को छोड़कर अन्य सभी दिनों में परिचालनरत है। इसका सामान्य ट्रेडिंग समय सुबह 10 बजे से शाम 4.00 बजे तक होगा।

59. ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म न्यूनतम बिक्री प्रस्ताव से खरीद प्रस्ताव के नियम का पालन करते हुए खरीद और बिक्री प्रस्ताव का मिलान करेगा और फिर उसके भीतर एफआईएफओ आधार पर मिलान करेगा।

उदाहरण

एक खरीदार ने किसी विशेष पीएसएलसी प्रकार के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान करने की पेशकश की और वह 1.5%, 1.8% और 2% पर उपलब्ध है। पोर्टल सबसे पहले 1.5% पर बिक्री सौदे के साथ मिलान करेगा और

किसी भी बचे हुए यूनिट के लिए फिर 1.8% और फिर उसी क्रम में 2% की बिक्री पेशकश के साथ मिलान करेगा, बशर्ते खरीद प्रस्ताव कतार में पहले हो (खरीद प्रस्ताव अंकित करने (प्लेस्मेंट) के समय के आधार पर)।

60. ऑर्डर मिलान पोर्टल के माध्यम से नामरहित (अज्ञात) आधार पर किया जाएगा और क्रेता/ विक्रेता द्वारा प्रतिपक्षकार का चयन नहीं किया जा सकता। आंशिक मिलान, बिक्री और खरीद के लिए श्रेणीवार पीएसएलसी लॉट के प्रीमियम और उपलब्धता के मिलान पर निर्भर करेगा।

61. मिलान किए गए प्रीमियम का वास्तविक समय पर निपटान किया जाएगा। तदनुसार, आरबीआई के पास सहभागी बैंकों के संबंधित चालू खातों को मिलान किए गए प्रीमियम की सीमा तक डेबिट/ क्रेडिट किया जाएगा।

62. मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पीएसएलसी मॉड्यूल के उपयोग के लिए कोई लेनदेन शुल्क नहीं लगेगा। जहां तक पीएसएलसी में ट्रेडिंग के कारण कर निहितार्थ का सवाल है वह लागू कर कानूनों के अंतर्गत बैंकों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

अध्याय-V: विविध

क. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने संबंधी लक्ष्यों पर निगरानी रखना

63. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को निरंतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों द्वारा किए जाने वाले अनुपालन पर कैलंडर 'तिमाही' आधार पर निगरानी रखी जाएगी।

64. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के आंकड़े बैंकों द्वारा संबंधित रिपोर्टिंग प्रारूप के अनुसार तिमाही और वार्षिक अंतराल पर, प्रत्येक तिमाही और वित्तीय वर्ष के अंत से क्रमशः पंद्रह दिन और एक महीने के भीतर नाबार्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं।

ख. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य प्राप्त न करना

65. निर्धारित लक्ष्य/ उप-लक्ष्यों की तुलना में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने में कमी दर्ज करने वाले बैंकों को नाबार्ड/ एनएचबी/ सिडबी/ मुद्रा लिमिटेड के पास रखी जा रही अन्य निधियों में योगदान के लिए राशि आबंटित की जाएगी, जैसा कि समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्णय लिया जाएगा। साथ ही, निधियों के निबंधन व शर्तों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

66. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य की उपलब्धि की गणना करते समय हर तिमाही के लिए कमी/अधिक उधार पर अलग से निगरानी रखी जाएगी। वर्ष के अंत में सभी तिमाहियों का सामान्य औसत निकाला जाएगा और समग्र कमी/ अधिकता की गणना के लिए उसे ध्यान में लिया जाएगा। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के उप-लक्ष्यों की उपलब्धि की गणना करते समय इसी पद्धति का पालन किया जाएगा।

उदाहरण **:**

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार पर संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के अंत में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य की उपलब्धि – कमी/अधिकता की गणना के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति का उदाहरण सारणी संख्या 1 और 2 में प्रस्तुत है।

(सारणी 1)

राशि ₹ करोड़ में

समाप्त तिमाही	**पीएसएल लक्ष्य (क)**	**प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र - बकाया राशि (ख)**	**एमडी के पैरा 13 के अनुसार चिह्नित जिलों को वृद्धिशील क्रेडिट पर भारांक के लिए समायोजन (ग)**	**कमी/अधिकता (ख)+(ग)-(क)**

जून	3,29,615	3,16,938	1,625	-11,052
सितंबर	3,08,826	3,11,945	-810	2,309
दिसंबर	3,17,694	3,19,291	-819	778
मार्च	3,24,560	3,21,347	2,925	-288
कुल	12,80,695	12,69,521	2,921	-8,253
औसत	3,20,174	3,17,380	730	-2,063

(सारणी 2)				
				राशि ₹ करोड़ में
समाप्त तिमाही	**पीएसएल लक्ष्य (क)**	**प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र - बकाया राशि (ख)**	**एमडी के पैरा 8 के अनुसार चिह्नित जिलों को वृद्धिशील क्रेडिट पर भारांक के लिए समायोजन (ग)**	**कमी/अधिकता (ख)+(ग)-(क)**
जून	3,29,615	3,27,967	1,500	-148
सितंबर	3,08,826	3,12,378	-729	2,823
दिसंबर	3,17,694	3,27,225	975	10,506
मार्च	3,24,560	3,21,315	-765	-4,010
कुल	12,80,695	12,88,885	981	9,171
औसत	3,20,174	3,22,221	245	2,293

सारणी – 1 में दिए गए उदाहरण में वित्त वर्ष के अंत में बैंक ने ₹2,063 करोड़ की समग्र कमी दर्ज की है। सारणी – 2 में वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक ने ₹2,293 करोड़ की समग्र अधिकता दर्ज की है।

पैरा 13 के अनुसार चिह्नित जिलों में वृद्धिशील ऋण पर भारांक के कारण समायोजन, डीक्यूपीएसए में बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार होगा।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के उप-लक्ष्यों की तिमाही और वार्षिक उपलब्धि की गणना के लिए इसी पद्धति का पालन किया जाएगा।

67. आरआईडीएफ और अन्य निधियों में उनके योगदान के लिए बैंकों को देय ब्याज दरें निम्नानुसार होंगी:

क्र. सं.	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के समग्र लक्ष्य में कमी	जमा दरें
1	5 प्रतिशत से कम अंक	घटाएं: बैंक दर से 2 प्रतिशत अंक
2	5 और उससे अधिक, किंतु 10 प्रतिशत अंक से कम	घटाएं: बैंक दर से 3 प्रतिशत अंक
3	10 प्रतिशत अंक और उससे अधिक	घटाएं: बैंक दर से 4 प्रतिशत अंक

इसके अतिरिक्त, यदि पीएसएल के समग्र लक्ष्य में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन किसी उप-लक्ष्य में कमी होती है तो बैंक दर से 2 प्रतिशत अंक घटाते हुए ब्याज दर लागू होगी।

68. यदि नाबार्ड द्वारा पीएसएल में कोई गलत वर्गीकरण पाया जाता है तो उसे संबंधित वर्ष की पीएसएल उपलब्धि से समायोजित किया जाएगा, जिससे गलत वर्गीकरण की राशि संबंधित है, तथा कमी की राशि आगामी वर्षों में विभिन्न निधियों में आबंटित की जाएगी।

69. जहां तक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को पूरे न करने का संबंध है उसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए विनियामकीय क्लियरेंस/ अनुमोदन देते समय विचार में लिया जाएगा।

ग. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण हेतु सामान्य दिशा-निर्देश

70. बैंकों से अपेक्षित है कि वे प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अग्रिमों की सभी श्रेणियों के संबंध में निम्नलिखित सामान्य दिशानिर्देशों का पालन करें।

1) **ब्याज की दर:** ऋणों पर लगाए जाने वाले ब्याज की दरें भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - अग्रिमों पर ब्याज दर) निदेश, 2025 के अनुरूप होंगी।

2) **सेवा शुल्क**: ₹50,000/- तक के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋणों पर कोई ऋण संबंधी शुल्क (ऋण गारंटी योजनाओं के गारंटी शुल्क सहित) और तदर्थ सेवा प्रभार/ निरीक्षण प्रभार नहीं लगाया जाना चाहिए। एसएचजी/ जेएलजी को दिए जाने वाले पात्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋणों के मामले में यह सीमा समग्र समूह के बजाय हर सदस्य पर लागू होगी।

3) **प्राप्ति सूचना, स्वीकृति/ अस्वीकृति/ संवितरण का अभिलेख:** बैंक द्वारा प्राप्ति की तारीख, स्वीकृति, संवितरण, अस्वीकृति तथा उसके कारण आदि का रिकार्ड रखा जाएगा।

4) **ऋण आवेदनों की पावती जारी करना:** प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण के आवेदन की पावती बैंकों द्वारा दी जाएगी। आवेदकों को लिखित रूप में अपने निर्णय की सूचना देने संबंधी समय-सीमा बैंकों की आंतरिक नीति में निर्धारित की जाएगी।

5) बैंकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के रूप में वर्गीकृत ऋण अनुमोदित उद्देश्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं तथा उचित आंतरिक प्रणालियों और नियंत्रणों को स्थापित करके अंतिम उपयोग की निगरानी की जाती है।

स्पष्टीकरण 1: *उदाहरण के लिए, कृषि/ एसएमएफ श्रेणी के अंतर्गत दिए जाने वाले फसल ऋणों के मामले में बैंकों द्वारा, खेती की जाने वाली भूमि की अवस्थिति (लोकेशन), उगाई जाने वाली फसल, फसलों का दृष्टिबंधक (यदि कोई हो), और वित्त मान, जिसके आधार पर ऋण मंज़ूर किए गए, का ब्योरा रखा जाएगा। कृषि ऋणों के अंतिम उपयोग की निगरानी के लिए बैंक अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले क्षेत्र दौरे का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। जहां तक भूमिहन मज़दूरों या बटाईदारों के मामले में, जहां भूमि का रिकॉर्ड/ पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं है, बैंक पीएसएल की पात्रता के समर्थन में अन्य सत्यापन-योग्य वैकल्पिक रिकॉर्ड रखना सुनिश्चित करेंगे। पीएसएल के अंतर्गत कृषि ऋणों के वर्गीकरण हेतु बैंकों द्वारा अपनी आंतरिक नीति के अनुसार समुचित रूप से दस्तावेजीकरण भी किया जाना चाहिए।*

स्पष्टीकरण 2: *कृषि कार्यकलापों के लिए दिए गए बैंक ऋण केवल इस बात से प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने के लिए अपात्र नहीं बन जाएंगे कि उनकी अंतर्निहित संपार्श्विक प्रतिभूति सोने के गहनों या आभूषणों के रूप में है। तथापि, ऐसे ऋण केवल उनकी संपार्श्विक प्रतिभूति के प्रकार या मूल्य के आधार पर नहीं, अपितु वित्त मान के आधार पर मंज़ूर किए जाने चाहिए और कृषि कार्यकलाप की ऋण-अपेक्षाओं का समुचित मूल्यांकन होना चाहिए।*

6) प्रत्येक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण को इन मास्टर निदेशों के पैरा 8 में निर्दिष्ट आठ चिह्नित श्रेणियों में से किसी एक में ही वर्गीकृत किया जाएगा।

अध्याय-VI – छूट, निरसन और अन्य प्रावधान

क. छूट

71. यदि रिज़र्व बैंक किसी कठिनाई की रोकथाम करने या न्यायसंगत और पर्याप्त कारण से किसी विनियमित संस्था को इन निदेशों के सभी या किन्हीं प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए समय-अवधि बढ़ा सकता है या सामान्य रूप से या किसी निश्चित अवधि के लिए कोई छूट दे सकता है, जो कि रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अधीन है।

ख. निरसन और व्यावृत्ति

72. इन निदेशों के जारी होने के साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए लागू प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार– लक्ष्य और वर्गीकरण से संबंधित मौजूदा निदेशों, अनुदेशों, और दिशानिर्देशों को निरस्त कर दिया गया है। इन निदेशों के जारी किए जाने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त रहेंगे।

73. इस तरह के निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के तहत की गई कार्रवाई या तात्पर्यित कृत कार्रवाई या शुरू की गई कार्रवाई उसी प्रकार से अभिशासित होना जारी रहेगा जैसा कि वह उन्हीं निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के प्रावधानों के लागू रहते शुरू की गई थी। इन निरस्त सूचियों के अंतर्गत दिए गए अनुमोदनों या अभिस्वीकृतियों के संबंध में यह माना जाएगा कि वे इन निदेशों द्वारा अभिशासित की जाती है। साथ ही, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त करने से निम्नलिखित बातों पर किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

(1) उनके अंतर्गत प्राप्त, अर्जित या उपगत कोई भी अधिकार, दायित्व या देयता;
(2) उनके अंतर्गत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में उपगत कोई भी शास्ति, समपहरण या दंड;
(3) पूर्वोक्त के रूप में इस तरह के किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, शास्ति, समपहरण या दंड के संबंध में कोई भी जांच, विधिक कार्यवाही या उपाय; और इस तरह की कोई भी जांच, विधिक कार्यवाही या उपाय शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है। इस तरह की कोई शास्ति, समपहरण या दंड उसी प्रकार से लगाया जा सकता है जैसे कि उन निदेशें, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया है।

ग. अन्य कानूनों का लागू होना वर्जित नहीं

74. इन निदेशों के प्रावधान तत्समय लागू किसी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों या निदेशों के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में होंगे।

घ. निर्वचन

75. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से या इन निदेशों के प्रावधानों के लागू होने या निर्वचन में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए आरबीआई, यदि आवश्यक समझे, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है। आरबीआई द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान का निर्वचन अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(निशा नम्बियार)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा साझा की गई खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के अंतर्गत अनुमत गतिविधियों की सांकेतिक सूची:

1. क्लिनिंग, एयर कूलिंग (फील्ड हीट रिमूवल), सॉर्टिंग, ग्रेडिंग/ साइजिंग, पैकेजिंग, वेयरहाउसिंग, फलों और सब्जियों का वितरण आदि।

2. रेफ्रीजेरेटेड वैन/ कोल्ड चेन बुनियादी संरचना प्रणाली सहित परिवहन, हर्मेटिक भंडारण जैसी तकनीकों सहित पैकेजिंग और भंडारण; कीट प्रबंधन।

3. कम तापमान पर भंडारण/ कोल्ड स्टोरेज/ मॉडिफाइड/ नियंत्रित एट्मोस्फ़ेयर पैकेजिंग, रेफ्रिजरेशन/ चिलिंग आदि।

4. एफ एंड वी की प्राथमिक और/ या न्यूनतम प्रसंस्करण: ब्लैंचिंग (सब्जियां), छीलना, काटना, भंडारण, कम तापमान पर वितरण, वैक्यूम पैकेजिंग आदि।

5. धूप में सुखाना और यांत्रिक विधि से सुखाना: सौर ड्राइंग, गर्म हवा ड्राइंग, डिहाइड्रेशन, हाइब्रिड ड्राइंग, द्रवीकृत बेड ड्राइंग, रेफ्रेक्टिव विंडो ड्राइंग, ड्रम ड्राइंग, रेडियो आवृत्ति ड्राइंग, लाइओफिलाइजेशन (फ्रीज ड्राइंग), वैक्यूम ड्राइंग, स्प्रे ड्राइंग, डी-हाइड्रो-फ्रीजिंग आदि।

6. विभिन्न तरीकों के माध्यम से परिरक्षण; पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरीके।

7. फ्रोजेन उत्पाद: फलों, सब्जियों, मांस, मछली, समुद्री खाद्य पदार्थों आदि का अलग-अलग रूप से त्वरित फ्रोजेन (आईक्यूएफ)।

8. दूध और दुग्ध उत्पादों का प्रसंस्करण, उसके परिवहन, पैकेजिंग और भंडारण सहित।

9. फलों, मशरूम सहित सब्जियों, मांस, मछली, क्रसटेशियन, मोलस्क, अन्य समुद्री खाद्य पदार्थ आदि की डिब्बाबंदी (कैनिंग)।

10. पिसाई अनाज, फली एंड दाल, उनके बाय-प्रोडक्ट्स जैसे चोकर तेल, कैटल फीड/ पोल्ट्री फीड आदि की तैयारी।

11. विभिन्न उत्पादों जैसे कि जूस, कॉन्सेंट्रेट, सॉस, जैम, जेली, मुरब्बा, चिप्स, फ्लेक्स, पाउडर आदि में एफएंडवी का प्रसंस्करण।

12. अनाज और दलहन, मछली, मांस, पोल्ट्री, सी फूड्स, अंडा आदि का उनके विभिन्न उत्पादों में प्रसंस्करण जिसमें एक्सट्रूडेड, पॉप्ड, पफ्ड और फ्लेक्ड उत्पाद शामिल हैं और साथ ही, उनकी पैकेजिंग और भंडारण जिसमें धूमन (फ्युमिगेशन), स्मोकिंग आदि शामिल हैं।

13. तेल बीज निकालना - प्रतिपादन, दबाव, हाइड्रोजनीकरण, निष्कर्षण के साथ शोधन, फिलिंग/ पैकेजिंग आदि।

14. मसाले, सीजनिंग, कोंडीमेंट्स – पिसाई, पेराई, मिलिंग, सिविंग, मिश्रण, सम्मिश्रण, रोस्टिंग, पैकेजिंग, भंडारण, वितरण।

15. फरमेंटेड उत्पाद और अल्कोहलिक पदार्थों अर्थात वाइन, सिरका, दुग्ध उत्पादों, प्रीबॉयोटिक्स, प्रोबॉयोटिक्स आदि, का उत्पादन।

16. पेय पदार्थों का उत्पादन – जूस, आरटीएस, नेक्टर, स्क्वैश, कॉर्डियल, सिरप/ शर्बत, सूप, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ आदि।

17. कोको, कॉफी, कासनी और चाय उत्पादों का उत्पादन; जिसमें कोको बटर, कोको पाउडर, चॉकलेट्स, वेफर्स आदि शामिल हैं।

18. बेकरी और कन्फेक्शनरी उत्पादों का उत्पादन - बिस्कुट, ब्रेड, केक, कुकीज़, टॉफी आदि।

19. गन्ने, चुकंदर, ताड़ आदि से गुड़, चीनी, खांडसारी आदि का उत्पादन।

20. मधुमक्षिकालय उत्पादों का उत्पादन (शहद प्रसंस्करण; प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों शहद)।

21. स्टार्च और स्टार्च उत्पादों का उत्पादन - साबूदाना, टैपिओका, मक्का, नूडल्स, मैक्रोनी, सेवंई आदि।

22. पशुओं/ जुगाली करने वाले पशुओं/ पक्षियों आदि की स्लॉटरिंग और उनका प्रसंस्करण।

23. नट्स प्रसंस्करण; नारियल आधारित उत्पाद प्रसंस्करण जैसे नारियाल का पानी, नट आदि।

24. अन्य उत्पादों जैसे कि इंस्टेंट मिक्स, रेडी टू ईट (आरटीई) रिटॉर्ट-आधारित उत्पादों, पकाने के लिए तैयार और बेवरेज आदि का प्रसंस्करण।

25. न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद/ कार्यात्मक खाद्य पदार्थ/ फोर्टीफाइड फूड/ समृद्ध भोजन तैयार करना।

26. जैविक खाद्य उत्पादों का उत्पादन।

27. शेल्फ लाइफ बढ़ाने और पैकेजिंग सहित शैवाल और फफूंदीय उत्पादों (जैसे स्पिरुलिना, मशरूम आदि) का प्रसंस्करण।

28. प्लैंटेशन फसलों का प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण और शैल्फ लाइफ का वर्धन।

29. खाद्य ग्रेड पैकेजिंग सामग्री का उत्पादन जैसे लैमिनेट्स, टेट्रा पैक, बोतलें, टिन कंटेनर आदि।

30. नवोन्मेषी/ उभरती प्रसंस्करण तकनीकों पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण, हेल्थ फूड्स, स्पैशालिटी, जैसे- मीट ऐनलॉग्स, फेर्मेंटेड प्रोटीन स्पेस फूड्स, पेट फूड्स, और मधुमेह/ निम्न अस्थि घनत्व से पीड़ित व्यक्तियों से संबंधित खाद्य पदार्थ।

31. खाद्य प्रसंस्करण की मशीनरी

32. एक्सट्रैक्ट्स, एसन्स और एसेन्शल ऑयलों का उत्पादन।